न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— **श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **119/2022** दायर दिनाँक **13.04.2022**

वादी

1. अब्दुल कादीर खां पुत्र फैजु खां उम्र 50 वर्ष जाति कायमखानी निवासी सरदारपुरा कलां, तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।

बनाम्

प्रतिवादीगण

1. बुन्दु खां उर्फ ईकबाल खां पुत्र रावत खां
2. फैजू खां पुत्र आब्दी खां
3. हिदायत खां पुत्र स्व0 भंवर खां
4. सलावत खां पुत्र स्व0 दाउद अली खां
5. अली शेर खां पुत्र स्व0 दाउद अली खां
6. जावेद खां पुत्र स्व0 दाउद अली खां
7. नगीना बानो पुत्री स्व0 दाउद अली खां
8. भंवरी बानो पत्नि स्व0 दाउद अली खां
9. आमीन बानो पत्नि स्व0 मुराद खां
10. अनवर बानो पुत्री स्व0 मुराद खां
11. मुस्ताक खां पुत्र स्व0 रसूल खां
12. बुन्दु खां पुत्र स्व0 रसूल खां
13. अजमत खां पुत्र स्व0 रसुल खां
14. असलम खां पुत्र स्व0 रसुल खां
15. हकीमन बानो पुत्री स्व0 रसुल खां
16. इस्लाम बानु पुत्री स्व0 रसुल खां
17. शौकत खां पुत्र रावत खां
18. सले खां पुत्र नथु खां
19. आमीन बानो पत्नि भंवरू खां
20. मेहर बानू पुत्री भंवरू खां
    समस्त जाति कायमखानी निवासीगण सरदारपुरा कलां तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।
21. यूकों बैंक शाखा डीडवाना
    (वादी अब्दुल कादीर का हिस्सा रहन)
22. तहसीलदार डीडवाना।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 14:05:52 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर).

Scanned with OKEN Scanner

दावा बाबत्
बंटवारा, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा– 53, 188 R.T.Act.

उपस्थितः–

1. श्री हरकुल राव वकील वादी।

–:: <u>निर्णय</u> ::–

दिनाँक 23.08.2022

वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 20 की संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा सं0 276 रकबा 0.0600 हैक्टे, खसरा सं0 397 रकबा 3.4600 हैक्टे0, खसरा सं0 434 रकबा 4.0100 हैक्टे0 कुल रकबा 7.5300 हैक्टे0 वाकै सरहद सरदारपुरा कलां, पटवार हल्का छापरी खुर्द, भू0 अभि0 नि0 क्षैत्र निम्बी कलां तहसील डीडवाना में अवस्थित है।

यह है कि उपरोक्त खसरा नम्बरान की भूमि में खातेदार भंवरू खां की मृत्यु हो चूकी है जिनके वारिसान प्रतिवादी सं0 3 व 19, 20 है तथा खातेदार मुराद खां की फौतगी के पश्चात उनके वारिसान प्रतिवादी सं0 9 व 10 है तथा खातेदार रसुल खां की फौतगी के पश्चात उनके वारिसान प्रतिवादी सं0 11 ता 16 है।

यह है कि खेत खसरा सं0 276 रकबा 0.0600 हैक्टे0, खसरा सं0 397 रकबा 3.4600 हैक्टे0, खसरा सं0 434 रकबा 4.0100 हैक्टे0 कुल रकबा 7.5300 हैक्टे0 वाकै सरदारपुरा कलां की भूमि में से खातेदार ईनायत खां पुत्र गफुर खां की सम्पूर्ण 1/5 भाग भूमि को वादी द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र के खरीद की हुई है तथा खरीद के समय से वादी उपरोक्त खसरा नम्बरान की भूमि के 1/5 भाग भूमि जो नजरी नक्शा में दर्शाये मार्क ए बी सी डी पर संयुक्त खातेदार के रूप काबिज काश्त चला आ रहा है।

यह है कि वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 20 ने उपरोक्त खसरा नम्बरान की भूमि का मौके पर बंट कर रखा है व मौखिक बंट अनुसार सीवें–निवें कायम कर रखी0सं0 है। उसी अनुसार मौके पर कब्जा काश्त चले आ रहे है।

प्रार्थना वादी निम्न प्रकार है :–

यह है कि खेत खसरा सं0 276 रकबा 0.0600 हैक्टे0, खसरा सं0 397 रकबा 3.4600 हैक्टे, खसरा सं0 434 रकबा 4.0100 हैक्टे0 कुल रकबा 7.5300 हैक्टे0 वाके सरहद सरदारपुरा कलां में वादी द्वारा खरीद सुदा 1/5 भाग की भूमि जो नजरी नक्शा में मार्क ए बी सी डी से दर्शाये अनुसार बंटवारा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस किा जावें। तथा इसी अनुरूप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें।

यह है कि खेत खसरा सं0 276 रकबा 0.0600 हैक्टे0, खसरा सं0 397 रकबा 3.4600 हैक्टे, खसरा सं0 434 रकबा 4.0100 हैक्टे0 कुल रकबा 7.5300 हैक्टे0 वाके सरहद सरदारपुरा कलां में वादी द्वारा खरीद सुदा 1/5 भाग की भूमि जो नजरी नक्शा में मार्क ए बी सी डी की जायगा की अलग खातेदारी राजस्व रेकर्ड में दर्ज की जावें तथा इसी अनुरूप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया। बावजुद तामिल प्रतिवादीगण अनुपस्थित [illegible] उनके खिलाफ एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। शपथ [illegible] अन्तर्गत आदेश 18 नियम 04 सी.पी.सी का पेश हुआ। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श [illegible] जमाबन्दी खतौनी संम्वत 2074–2077, प्रदर्श 2 [illegible] विक्रय [illegible] प्रदर्शित किये गये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 14:05:52 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner

विद्वान अधिवक्ता वादी की सारगर्भित बहस सुनी गयी, वादी ने वाद का डिक्री किये जाने का निवेदन किया, विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया। अतः बाद विवेचन, वाद वादी डिक्री किया जाता है।

–:आदेश :–

अतः हस्व दावा डिक्री सादिर कर, खेत खसरा सं0 276 रकबा 0.0600 हैक्टे0, खसरा सं0 397 रकबा 3.4600 हैक्टे, खसरा सं0 434 रकबा 4.0100 हैक्टे0 कुल रकबा 7.5300 हैक्टे0 वाके सरहद सरदारपुरा कलां में वादी द्वारा खरीद सुदा 1/5 भाग की भूमि जो नजरी नक्शा में मार्क ए बी सी डी की जायगा की अलग खातेदारी दर्ज किया जाता है। तथा नजरी नक्शा के अनुसार रास्ते की भूमि सभी खातेदारान के हिस्से से कम कर रास्ते में दर्ज की जाती है।

तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो। नजरी नक्शा निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलेक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक **23.08.2022** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 14:05:52 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **119/2022** दायर दिनाँक **13.04.2022**

प्रार्थी

1. अब्दुल कादीर खां पुत्र फैजु खां उम्र 50 वर्ष जाति कायमखानी निवासी सरदारपुरा कलां, तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।

बनाम्

अप्रार्थीगण

1. बुन्दु खां उर्फ ईकबाल खां पुत्र रावत खां
2. फैजू खां पुत्र आब्दी खां
3. हिदायत खां पुत्र स्व0 भंवर खां
4. सलावत खां पुत्र स्व0 दाउद अली खां
5. अली शेर खां पुत्र स्व0 दाउद अली खां
6. जावेद खां पुत्र स्व0 दाउद अली खां
7. नगीना बानो पुत्री स्व0 दाउद अली खां
8. भंवरी बानो पत्नि स्व0 दाउद अली खां
9. आमीन बानो पत्नि स्व0 मुराद खां
10. अनवर बानो पुत्री स्व0 मुराद खां
11. मुस्ताक खां पुत्र स्व0 रसूल खां
12. बुन्दु खां पुत्र स्व0 रसूल खां
13. अजमत खां पुत्र स्व0 रसुल खां
14. असलम खां पुत्र स्व0 रसुल खां
15. हकीमन बानो पुत्री स्व0 रसुल खां
16. इस्लाम बानु पुत्री स्व0 रसुल खां
17. शौकत खां पुत्र रावत खां
18. सले खां पुत्र नथु खां
19. आमीन बानो पत्नि भंवरू खां
20. मेहर बानू पुत्री भंवरू खां
    समस्त जाति कायमखानी निवासीगण सरदारपुरा कलां तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।
21. यूकों बैंक शाखा डीडवाना (वादी अब्दुल कादीर का हिस्सा रहन)

1. 22. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत्
बंटवारा, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा– 53, 188 R.T.Act.

दिनाँक **23.08.2022**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री इरफ़ानखान वकील वादी की और से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्व दावा डिक्री सादिर कर, खेत खसरा सं0 276 रकबा 0.0600 हैक्टे0, खसरा सं0 397 रकबा 3.4600 हैक्टे, खसरा सं0 434 रकबा 4.0100 हैक्टे0 कुल रकबा 7.5300 हैक्टे0 वाके सरहद सरदारपुरा कलां में वादी द्वारा खरीद सुदा 1/5 भाग की भूमि जो नजरी नक्शा में मार्क ए बी सी डी की जायगा की अलग खातेदारी दर्ज किया जाता है। तथा नजरी नक्शा के अनुसार रास्ते की भूमि सभी खातेदारान के हिस्से से कम कर रास्ते में दर्ज की जाती है।

तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। ... हो। नजरी नक्शा निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

नीज..........–.......... मुबलिग.......... बा.......... ....

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह..........–.......... आज की तारीख को अदा करें। बसबत मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 2_.2022 को सरे इजलास में जारी की गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 14:05:52 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 – –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः—इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 14:05:52 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner